

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 45/2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन
एफबीओ मैसर्स— शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा ।
2. श्रीमती अन्जू जैन
मालिक मैसर्स— शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा ।
3. श्रीमती रेखा चौधरी असिस्टेंट मैनेजर (प्रोडक्शन)
नोमिनी मैसर्स—Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur.
4. मैसर्स— Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur.

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 27.12.2017



संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 11.05.2016 को दोपहर 11:15 बजे मैसर्स शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 15 गत्ते के कार्टून X 24 पैट में 200 एमएल पैकिंग में पैक Sweetend Carbonated Water (Spicy Bisleri) (15 कार्टून X 200 एमएल X 24 पैट) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 60 पैट 200 एमएल वजन के नमूने की जाँच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 450 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है। विक्रेता ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का इनवॉयस नं0 एस 16-06000442 दिनांक 14.1.2016 प्रस्तुत किया, जो संलग्न है

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक Sweetend Carbonated Water (Spyci Bisleri) की 60 पैट बोतलो को पन्द्रह-पन्द्रह को चार-चार जगह अलग-अलग बांधकर बोतलों पर लेबल चिपकाकर पैट बोतलो को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैट बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1378 गोंद से चिपकाकर पैट बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैट बोतलो को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर पैट बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारों सील बन्द पैट बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की तथा अलग से जरिये डाक एक प्रति मुल्जिम सं० 3 को भेजी। जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च०३०क० मुख्यालय द्वारा दिनांक 12.5.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.5.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.5.2016 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ Sweetend Carbonated Water (Spyci Bisleri) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1275/एक्ट/2016/2128 दिनांक 3.6.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Sweetend Carbonated Water (Spyci Bisleri) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Sweetend Carbonated Water (Spyci Bisleri) के नमूने पर Quantity of added sugar अंकित नहीं होने के कारण से नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एच
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा



प्रकरण संख्या : 45/2016 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1275/एक्ट/2016/2128 दिनांक 3.6.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Sweetend Carbonated Water (Spyci Bisleri) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त सं० 3 श्रीमती रेखा चौधरी असिस्टेंट मैनेजर (प्रोडक्शन) नोमिनी मैसर्स-Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur एवं अभियुक्त सं० 4 मैसर्स-Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Sweetend Carbonated Water (Spyci Bisleri) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं० 3 श्रीमती रेखा चौधरी असिस्टेंट मैनेजर (प्रोडक्शन) नोमिनी मैसर्स-Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur एवं अभियुक्त सं० 4 मैसर्स-Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur पर 21000/- (अक्षरे इक्कीस हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.12.2017 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया



कमांक / 7685-90

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन
एफबीओ मैसर्स:- शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा।
4. श्रीमती अन्जू जैन
मालिक मैसर्स:- शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा।
5. श्रीमती रेखा चौधरी असिस्टेंट मैनेजर (प्रोडक्शन)
नोमिनी मैसर्स-Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur.
6. मैसर्स- Bisleri International Pvt. Ltd. Jaipur, E-12/A, Road No. 1, VKI Area, Jaipur.

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 27.12.2017

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा